रजिस्टर्ड नं० ल०-33/13-14/93.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 फरवरी, 1993/20 माघ, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 1993

संख्या विद्युत-छ(5)4/92.—यतः भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी० सी०) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पारली करेरी, उप-तहसील वाली चौकी, जिला मण्डी में 132 के० वी० डब्बल सर्कट संचार लाईन लारजी-गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 क उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी

उप-तहसील : बाली चौकी

ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्रफल बीघों में
पारली करेरी	716/26/1	0-8-9

आदेशानुसार,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मद्रित तथा प्रकाशित।